26 दिसम्बर, 2018 को लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में 'आम नागरिकों के लिए न्याय' विषय पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अध्यक्ष का भाषण

———

1. मुझे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1992 में अपनी स्थापना के समय से और आम लोगों, विशेषकर निर्धन और वंचित लोगों को कानूनी जानकारी, सहायता एवं न्याय उपलब्ध कराने हेतु परिषद् द्वारा किए जा रहे सतत् प्रयासों के माध्यम से, आप सबने अपने ध्येय वाक्य **'न्याय मम् धर्म'** से जुड़े आदर्शों और उद्देश्यों के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता दर्शायी है। हमारी न्यायिक व्यवस्था के सामने लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए आपके सतत् प्रयास बहुत प्रशंसनीय हैं।

2. हमारी न्याय प्रणाली में अधिवक्ताओं (advocates) की भूमिका हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रही है। **"A lawyer is and must ever be the high priest at the shrine of justice" captures the essence of the role of an advocate in the administration of justice in the society**. हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अधिवक्ताओं ने ऐतिहासिक रूप से देश की आजादी की लड़ाई में, आजादी के पश्चात्

संविधान निर्माण एवं बेहतर शासन व्यवस्था के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

3. हमें सदैव इस बात को याद रखना चाहिए कि आम आदमी को न्यायिक व्यवस्था से बड़ी आशा रहती है और उसमें पूरा विश्वास होता है क्योंकि न्यायालय ही उनके अधिकारों के संरक्षण की अंतिम आशा होते हैं।

4. लेकिन आम व्यक्ति हमारी न्यायिक व्यवस्था की जटिलताओं अथवा पेचीदगियों को नहीं समझते हैं। यह भी सच है कि अनेक प्रभावशाली लोग न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग भी करते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि न्यायपालिका के पास बड़ी संख्या में मामले लंबित (pending) हैं। निचली अदालतों में पदों के रिक्त रहने (vacancies in lower courts), प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने की धीमी गति (slow pace of technology adoption) और अन्य चुनौतियों के कारण न्यायिक प्रणाली का कार्य कठिन हो गया है।

5. हमारी न्यायिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा और विश्वास, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी कीमत पर उस विश्वास में कमी नहीं आने देनी चाहिए क्योंकि ऐसा होना लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होगा।

6. विधि का शासन यह सुनिश्चित करता है कि दोषी को सजा मिले और समय पर न्याय सुलभ कराया जाए। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि न

केवल न्याय मिले बल्कि समय पर न्याय मिले। न्याय देने में विलंब होना, न्याय न देने के बराबर है (Justice delayed is justice denied)।

7. न्यायपालिका की institutional integrity बहुत हद तक उसके ऊपर जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। चूंकि सरकार के सभी अंग स्वतंत्र हैं एवं उनमें आपस में संबंध भी हैं, इसलिए यह संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों का सामूहिक दायित्व है कि वे तीनों मिलकर समय पर एवं सम्यक् न्याय दिलाने की दिशा में कार्य करें। Judicial reforms आज के समय की आवश्यकता है। इस दिशा में गंभीरतापूर्ण एवं सुचारू विचार–विमर्श अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

8. Law Commission की महत्वपूर्ण सिफारिशों जैसे, जजों की नियुक्ति, केस की निस्तारण प्रक्रिया, विशेष कोर्ट का गठन, प्रक्रियात्मक सुधार इत्यादि पर गंभीरता से विचार–विमर्श करना एवं इस दिशा में समुचित कार्यवाही करना अपेक्षित है। अन्य महत्वपूर्ण बातों में से एक हमलोग Alternate Dispute Redressal system (Lok Adalats), Specialized Courts, Mediators इत्यादि की स्थापना पर विचार कर सकते हैं ताकि नियमित न्यायालयों पर दबाव कम हो सके।

9. यह खुशी की बात है कि मुकदमे और निर्णय देने के कार्य में तेजी लाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने देश के जिला

न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना (E-court Mission Mode Project) शुरू की है। हमें अपनी न्याय प्रणाली में भी तकनीक का उपयोग करना होगा। तभी तो हम अपने नागरिकों को सहज एवं सरल रूप में न्याय दिला सकेंगे। कोर्ट परिसरों में भी इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं और तकनीकों का प्रावधान किया जाना चाहिए। Systematic classification, Tracking and Monitoring of cases, Digitization, Information Technology और Video-Conferencing इत्यादि के माध्यम से न्यायपालिका के कार्यकरण में सुधार करने और उसे सुचारू बनाने की काफी गुंजाईश है।

10. न्याय प्रणाली भी समाज का दर्पण है। अच्छे न्याय के लिए न्याय की कड़ियां भी स्वच्छ और मजबूत होनी चाहिए। पुलिस, डॉक्टर, फोरेंसिक विशेषज्ञ और वकील के तथ्यों में जितनी स्वच्छता एवं स्पष्टता होगी उतना ही न्याय समाज को प्रेरित करने वाला होगा।

11. न्यायपालिका में कैरियर को आकर्षक बनाए जाने के लिए ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा–से–ज्यादा युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की ओर प्रेरित हों।

12. न्यायाधीश कानून के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं। वे कानून की व्याख्या करते हैं। उन्हें आम लोगों की अपेक्षाओं और शिकायतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कई बार न्यायालयों के निर्णय अस्पष्ट और ऐसे होते हैं जो व्यावहारिक तौर पर लागू करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं।

13. न्यायाधीशों की कमी को पूरा करने हेतु वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए न्यायाधीशों को वापस बुलाकर क्या उन्हें न्यायपालिका की मुख्य धारा में लाया जा सकता है? न्यायाधीश न्याय प्रदान करने के लिए नियुक्त होते हैं। उनसे अन्य प्रशासनिक कार्य जैसे अकाउंट्स, मालखाना, नकल, दफ्तर आदि की देख–रेख का भार नहीं डाला जाना चाहिए।

14. मेरा मत है कि स्वतंत्र न्यायिक प्रशासन सेवा (Judicial Administrative Service) निर्मित कर इस काम में न्यायाधीशों की ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। ऐसे सभी पदों पर, जिन पर कार्यरत न्यायाधीशों की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करना चाहिए – जैसे श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय, विधि सचिव, विधान सभा सचिव, शासन के अन्य विभागों में विधि सलाहकार इत्यादि। विधिक सहायता व लोक अदालत का कार्य भी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों अथवा अधिवक्ताओं को देना चाहिए। इस कार्य में कार्यरत न्यायाधीशों का समय तथा ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहिए।

15. **आप विद्वानजनों के संबंध में सुभाषितानि का यह श्लोक बहुत सटीक एवं सार्थक है:–**

''नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम् त्वम् एव तनुषे चेत्।

विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः।।''

(यदि हंस ही पानी और दूध में अंतर करना छोड़ दे, तो दूसरा कौन इस कुलव्रत का पालन कर सकता है? यदि बुद्धिमान तथा कुशल मनुष्य ही अपना कर्त्तव्य करना छोड़ दे तो दूसरा कौन यह काम कर सकता है।)

16. मैं परिषद् के साथ जुड़े हुए सभी अधिवक्ताओं का धन्यवाद करते हुए आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं।

———